3 बाढ़ के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाइयाँ:

जहां बाढ़ के दौरान त्वरित रिस्पौंस एवं राहत की आवष्यकता पड़ती है, वहीं बाढ़ के पष्चात् दीर्घकालीन साहाय्य, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्य महत्वपूर्ण हो जाते है। अतएव बाढ़ के पष्चात् निम्न कार्रवाईयॉ अपेक्षित होगी **(चेकलिस्ट अनुलग्नक 15 पर संलग्न)**।

4.1 राहत वितरण

4.1.1 मुफ्त खाद्यान्न (Gratutious Relief) का वितरण

बाढ़ के दौरान प्रभावित परिवारों को एक माह के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद अनुदान का भुगतान कर दिया जाना है। संभव है कि अगले माहों के लिए भी मुफ्त खाद्यान्न वितरण की आवष्यकता हो। ऐसी आवष्यकता होने पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार सक्षम प्राधिकार की सहमति से अगले माहों के लिए खाद्यान्न वितरण आदि का निर्णय संसूचित किया जाएगा।

4.1.2 पूर्ण क्षति का आकलन

- साहाय्य वितरण के लिए आवष्यक होगा कि गृह क्षति, भूमि क्षति (भूमि पर बालू का जमाव), पषु क्षति, बर्त्तन एवं वस्त्रादि की क्षति, फसल क्षति, मछुआरों के नाव–जाल आदि की क्षति तथा हस्त षिल्प/हस्त करघा क्षेत्र के षिल्पियों के क्षतिग्रस्त उपकरणों आदि का विस्तृत आकलन किया जाएगा। क्षति के आकलन के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की जाएगी तथा सभी प्रकार की क्षति का डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करा ली जाएगी। ऐस फोटो एवं वीडियों में किसी जिम्मेदार सरकारी कर्मी का फोटो होना भी आवष्यक होगा।
- भूमि एवं फसल क्षति के आकलन के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा कृषि विभाग के जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों तथा राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को सुपरिभाषित जबाबदेही दी जाएगी तथा यह सुनिष्चित किया जाएगा कि जमीन की मापी तथा जमीन पर स्वामित्व आदि के प्रष्नों को स्थापित कानूनों के अनुसार बिना देर किये हल कर दिया जाए। उदाहरण के लिए संभावना हो सकती है कि किसी फसल क्षति वाली जमीन का मालिकाना संयुक्त स्वामित्व में हो तो अलग–अलग दाखिल खारिज नहीं हुआ हो। ऐसे में भूमि क्षति फसल क्षति का अनुदान भुगतान करने हेतु दाखिल खारिज की अनिवार्यता नहीं रहेगी तथा स्थानीय जांच के पष्चात् राहत अनुश्रवण सह निगरानो समिति की देख–देख में भूमि/फसल क्षति हेतु आवष्यक अनुदान संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया जाएगा। फसल क्षति हेतु अनुदान रबी की फसल की बुआई के पहले भुगतान कर दिया जाएगा ताकि जिन किसानों की फसल बाढ़ से बर्बाद हो गयी है उन्हें रबी की फसल उगाने हेतु सहायता मिल सके।

- पारदर्षिता बनाये रखने के लिए क्षति के आकलन के समय यथानुसार पंचायत/वार्ड अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का सहयोग एवं परामर्ष प्राप्त कर लिया जाएगा। **अनुलग्नक 12(क) 12(ख) एवं 12(ग)**

4.1.3 राहत वितरण

क्षति का आकलन करने के तुरत बाद प्रभावित व्यक्तियों को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड/ पंचायत स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण एवं परामर्ष स किया जाएगा। यदि राहत वितरण में भेद–भाव अथवा किसी भी तरह की षिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच एवं निष्पादन वरीय पदाधिकारियों की टीम से अविलम्ब कराया जाएगा ताकि राहत वितरण में अनावष्यक कठिनाइयाँ एवं विवाद पैदा न हो सके।

4.1.4 किसान केडिट काड धारकों को ऋण का वितरण

यह सुनिष्चित किया जाएगा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के किसान कडिट कार्ड धारकों को रबी की बुआयी हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाए । इसके लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में रणनीति बना ली जाएगी।

4.1.5 फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान

यदि क्षतिग्रस्त फसले फसल बीमा से आच्छादित हों तो सहकारिता विभाग द्वारा यथाषीघ्र फसल बीमा की राषि के भुगतान हेतु कार्रवाई सुनिष्चित की जाएगी।

4.1.6 बाढ़ राहत कैम्प/मेगा कैम्पों में राहत की व्यवस्था

बाढ के उपरांत भी बाढ़ राहत कैम्प/मेगा कैम्प चलाने की आवष्यकता पड़ सकती है। बाढ़ राहत कैम्प/मेगा कैम्प में राहत की व्यवस्था करने के संबंध में विभागीय निदेष पत्रांक 2493/आ0प्र0 दिनांक 5.9.08 द्वारा संसूचित है। यह पत्र **अनुलग्नक 16 पर संलग्न** है। इसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

4.2 आधारभ्त संरचनाओं की क्षति का आकलन

बाढ के दारान सड़क,पुल– पुलियों,विद्युत संरचण लाईन, दूरसंचार माध्यमों, सरकारी भवनों,अस्पतालों/दवाओं, जलापूर्त्ति योजनाओं, चापाकलों, वन–सम्पदा, आदि, की क्षति का आकलन संबंधित विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। जिला पदाधिकारी क्षति आकलन का समन्वय करेंगे तथा आवष्यकतानुसार सहयोग प्रदान करेंगे। क्षति के आकलन के उपरान्त उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेजे जाएगें।

4.2.1 क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण

सबंधित विभाग अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचना की क्षति के आकलन कराने के पष्चात् उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित प्रकिया अपना कर कार्रवाई करेंगे। सर्वप्रथम यह सुनिष्चित किया जाएगा कि आधारभूत संरचनाओं का त्वरित पुनस्थापन कर दिया जाए , तत्पष्चात् पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। पुनर्निर्माण कार्य ''Build back better than before'' क सिद्धान्त पर कराया जाएगा अर्थात् पुनर्निर्माण के पष्चात् निर्मित संरचना पूर्व से बेहतर तथा आपदारोधी हो, इसे सुनिष्चित किया जाएगा।

4.3 महामारी की रोकथाम

बाढ के पष्चात् बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की संभावना रहती है। अतएव महामारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरोधात्मक कदम उठाए जाऐंगे।

4.4 जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था

बाढ़ के कारण जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत की जाएगी। इस कार्य हेतु जल संसाधन विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

4.5 बाढ के अंतिम प्रतिवेदन का प्रेषण

जिला पदाधिकारी द्वारा बाढ़ का अंतिम प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में 31 दिसम्बर तक आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दिया जाएगा। किसी भी हालत में अंतिम प्रतिवेदन भेजने मे देरी नहीं की जाएगी।

4.6 राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र

राहत कार्यों के लिए निधि का आवंटन राज्य आपदा रिस्पौंस कोष से किया जाता है। अतएव आपदा राहत में जो भी निधि व्यय की जाती है उस निधि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत विहित प्रक्रिया अपना कर व्यय की गयी राषि को डेबिट करना पड़ता है। अतएव राहत कार्यों में खर्च की गयी राषि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाषीघ्र भेजने की व्यवस्था जिला पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी ताकि उक्त कोष में राषि डेबिट होती रहे। इसके लिए पूरी राषि व्यय होने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी अपितु जितनी राषि व्यय हो चुकी हो उतनी राषि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाएगा।

4.7 कृत कार्रवाइयां का अन्तर्निरीक्षण (Introspection) एवं भविष्य के लिए सीख (Lessons learnt)

बाढ़ समाप्ति के पष्चात जिला एवं राज्य टास्कफोर्स की बैठकों में बाढ़ के दौरान विभिन्न विभागों/एजेन्सियों के द्वारा कृत कार्रवाइयों का अन्तर्निरीक्षण (Introspection) करते हुए भविष्य के लिए सीख (Lessons learnt) ग्रहण की जाएगी। इन बैठकों में संबंधित विभाग/एजेन्सियाँ ईमानदारी पूर्वक आत्म चिंतन करते हुए कृत कार्रवाइयों से सबल एवं दुर्बल पक्षों का गहन विष्लेषण करेंगी, जिनसे भविष्य के लिए सबक सीखा जा सके। इस प्रकार इन सीखों का उपयोग करते हुए आगामी वर्षों में बाढ़ आपदा प्रबंधन के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा।